



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1452-दो/15

जिला-सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-15	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.के.श्रीवास्तव., अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया ।</p> <p>विचारोपरान्त प्रकरण में अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

रेस्टोरेशन नं० 1452-II-15

प्रकरण क्रमांक

/2015 रेस्टोरेशन

श्री. एफ. डी. मलिक
द्वारा आज दि. 9-6-15
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सितविया बेवा पत्नी श्री छोटे चमार
निवासिनी— ग्राम जियावन तहसील देवसर,
जिला सिधी, म०प्र० —आवेदिका

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र श्री सुखदेव चमार
2. सहदेव पुत्र श्री सुखदेव चमार
3. छेदीलाल पुत्र श्री छोटे चमार
4. नन्हका पुत्र छोटे चमार निवासीगण— ग्राम
जियावन तहसील देवसर, जिला सिधी,
म०प्र० —अनावेदकगण

म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित
नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदनपत्र

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

1. यहकि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 1537/8 II उत्कृष्ट
माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27-3-15 को नियत
था।
2. यहकि, नियत दिनांक 27-3-15 को आवेदक के
अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामूहिक रूप
से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त